



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : सा.1382/2024

दिनांक : 16 सितम्बर, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए रिक्त पदों के सापेक्ष आमंत्रित अतिथि अध्यापकों/व्याख्याताओं को व्याख्यान के लिए दिनांक 16 सितम्बर, 2024 से कुलपति महोदय के आदेशानुसार पूर्व में विज्ञापित पदों के चयन के पूर्व या 31 मई 2025 तक जो पहले हो, के लिए उल्लिखित नियमों/शर्तों के अधीन अधोलिखित संकाय के अन्तर्गत विभाग/विषय में आमंत्रित किया जाता है -

क्र. सं.	संकाय का नाम	विभाग/विषय का नाम	वर्ग	अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित विद्वानों का नाम
1	वेद वेदांग संकाय	सिद्धान्त ज्योतिष	अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अनारक्षित	श्री सुभाष कुमार झा
2		वेद	अन्य पिछड़ा वर्ग	डॉ. किरन
3	साहित्य संस्कृति संकाय	प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र	अनारक्षित	डॉ. आराधना देवी
4	श्रमण विद्या संकाय	पालि एवं थेरवाद	अनुसूचित जाति	श्री सूर्यभान कुमार
5		बौद्ध दर्शन	अनारक्षित	श्री लेखमणी त्रिपाठी
6		बौद्ध दर्शन	अनारक्षित	श्री राजीव कुमार नेगी
7	आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय	शिक्षाशास्त्र	अन्य पिछड़ा वर्ग	श्री संतोष कुमार
8		शिक्षाशास्त्र	अनुसूचित जाति	डॉ. गोपाल प्रसाद
9		सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत प्राचीन इतिहास	आर्थिक रूप से कमजोर	डॉ. प्रीति वर्मा
10		सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व	अनुसूचित जाति	श्री चन्द्रभान
11		फ्रेंच	अनारक्षित	सुश्री सख्धरा शर्मा

- चयनित अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित विवरण, शैक्षिक प्रमाण पत्र संलग्नक में किसी भी प्रकार के त्रुटि/प्रस्तुत प्रपत्र फर्जी पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, जिसके परिणाम स्वरूप नियुक्ति भी समाप्त कर दिया जायेगा।
- अतिथि अध्यापक को संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सौंपे गये शिक्षण/कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, जो समय-समय पर समीक्षा के अधीन होगा।
- अतिथि अध्यापक स्थायी/वरिष्ठता, आवास आवंटन, अवकाश आदि के हकदार नहीं होंगे तथा इसका दावा भी नहीं करेंगे, जो विश्वविद्यालय के नियमित अध्यापकों को देय है।
- अतिथि अध्यापक को विश्वविद्यालय प्रशासन शैक्षणिक सत्र 2024-25 के समाप्ति से पहले भी इस आमंत्रण को समाप्त कर सकता है।
- अतिथि अध्यापक को व्याख्यान हेतु सत्र 2024-25 के लिये रुपये 400/- (चार सौ) मात्र प्रति व्याख्यान जो प्रति माह रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार) मात्र से अधिक पारिश्रमिक/मानदेय देय नहीं होगा।
- अतिथि अध्यापक की सेवा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए मान्य होगी, जिसे नियंत्रण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सत्र 2025-26 के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- अतिथि अध्यापक आमंत्रित को उपरोक्त शर्त स्वीकार है, तो संलग्न निर्धारित प्रारूप पर अपनी सहमति की सूचना इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से 10 दिनों के अन्दर शर्तों के अधीन उक्त आशय का शपथ-पत्र संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- अतिथि अध्यापक के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रति माह के मानदेय प्राप्यक (बिल) विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

इस पर आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त है।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- निजी सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
- संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
- परीक्षा नियंत्रक
- समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी।
- सम्बन्धित अतिथि व्याख्याता।
- आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
- अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)।
- सम्बद्ध पत्रावली।

(राकेश कुमार)

आई.ए.एस.

कुलसचिव

16/9/2024

(राकेश कुमार)

आई.ए.एस.

कुलसचिव



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

सहमति-पत्र

सेवा में,

संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष

.....
.....

विश्वविद्यालयीय पत्रांक दिनांक के द्वारा दिये गये निर्देशों/नियमों के अधीन शर्तें स्वीकार है। तदनुसार अतिथि अध्यापक के रूप में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अध्ययन-अध्यापन/कर्तव्यों के निर्वहन के लिए शपथ-पत्र के साथ उपस्थित हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि व्याख्यान हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

1. डॉ. श्री/श्रीमती
2. पुत्र/पुत्री
3. स्थायी पता
4. अस्थायी पता
5. मोबाइल नं.
6. ईमेल आई.डी.
7. बैंक खाता संख्या
8. बैंक शाखा का नाम
9. आई.एफ.एस.सी. कोड
10. पैन नं

दिनांक:-

हस्ताक्षर